

कार्यालय :- अमल अधिकारी, चन्द्रपुर

आदेश पत्रक

विधि वाद सं.

/2024-25

राधिका देवी - बनाम - प्रेम चहरो कोठ

05.08.24

उभय पक्ष उपस्थित ।

प्रथम पक्षकार राधिका देवी द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्षकारों द्वारा उनके खानेपानी जमीन खाना सं. 9। प्लॉट सं. 348 में 37 बी० अधिग्रहण ले. हुआ एवं 01 एक बीसमाल बचत हुआ है। अब अधिग्रहीत 37 बी० प्लॉट पर विपरीत कार्य करने से मेरा गेट के सामने आने, जाने के रुकना है।

द्वितीय पक्षकारों द्वारा बताया गया कि मौजा रतारी के खाना सं. 9। हमलों का खानेपानी जमीन है, उक्त खाना के प्लॉट सं. 348 में अधिग्रहण हुआ है, किन्तु जमीन अधिग्रहीत हुआ है जावकानी नहीं है, हमलों का समर्थन दिया जाए। अगली तिथि का जानकारी प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित होंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्थन भी मौजा की गरी है, जिसे स्वीकार किया जाता है।

अभिज्ञेय दिनांक 28/07/24 को रखे।


05/08/24

28/08/24

अभिज्ञेय उपस्थित

द्वितीय उभय पक्ष उपस्थित ।

~~प्रथम~~ पक्ष द्वारा बताया गया कि उनलोगों द्वारा मौजा-रतारी के खाना सं. 9। प्लॉट सं. 348 से उनलोगों के द्वारा खाना मिट्टी हटा लिया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा भी बताया गया कि द्वितीय द्वारा मिट्टी हटा लिया गया है।

उभय पक्षों का उक्त धार्मिक अनुष्ठान
हटा लिया गया है।

अतः उस वाद की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।


28/08/24
अंचल अधिकारी
चण्डीपुरा।